battery exists in the subscriber instrument.

Error on the number of paragraphs in the Vohra Committee's Report

2357. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was an error in the number of paragraphs in the Vohra Committee's report as reported in the Statesman dated 21st November, 1995; and

(b) if so, when the error came to notice?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SYED SIBTEY ~~RA~~ZI): (a) and (b) Vohra Committee Report had certain errors in correct serialised numbering of paras. As the error was in the original report signed by Shri N. N. Vohra, no corrections were made in this regard.

श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों की रक्षा

2358. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रीलंका में जाफना में पुलिस कार्यवाही के दौरान भारतीय मूल के कितने व्यक्ति मारे गए;

(ख) सरकार द्वारा श्रीलंका में भारतीय मूल के निर्दोष नागरिकों की रक्षा हेतु कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार इस समस्या के हल के लिए श्रीलंका सरकार से बातचीत कर रही है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) इस संबंध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) भारत, श्रीलंका में जातीय मसलों के शान्तिपूर्ण राजनीतिक रक्षा समाधान का सदैव पक्षधर रहा है जिससे श्रीलंका के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। सरकार का विचार है कि यह मामला श्रीलंका की सरकार और वहां के लोगों को ही सुलझाना चाहिए।

गुजरात में प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक घरानों के विरुद्ध शिकायतें

2359. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात राज्य में विशेषत: जामनगर, सूरत और वापी में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने के संबंध में किन्हीं प्रमुख औद्योगिक घरानों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) ऐसे प्रमुख उद्योगों द्वारा प्रतिदिन कितना प्रदूषण फैलाया जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) जामनगर, सूरत और वापी क्षेत्रों में स्थित उद्योगों सहित गुजरात में कुछ प्रमुख औद्योगिक घरानों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें प्राथमिक रूप से अशोधित बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन से संबंधित हैं जिनसे इन क्षेत्रों के जल निकायों, वायुमण्डल और भूमि के प्रदूषित होने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे एक निश्चित समय सीमा के अन्दर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करें। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 76 औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित मानकों का पालन न करने के कारण पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निर्देश जारी किए हैं।

2. वापी और अंकलेश्वर की अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है और इन क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक कार्यवाही योजना तैयार की गई है।

3. लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार 17 उद्योग श्रेणियों से संबंधित 177 इकाइयों में से 167 इकाइयों ने मानकों के अनुपालन हेतु समुचित सुविधाएं स्थापित कर ली हैं।

5. उद्योगों के स्थान निर्धारण एवं परिचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

6. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

7. प्रदूषण नियंत्रण/निगरानी उपकरणों के लिए उद्योगों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है।

Violation of Rules and Regulations on N. H. No. 8

2360. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the I.R.C. guidelines and rules and regulations are being violated by a number of petrol pumps, hotels and dhabas situated on National Highway No. 8 in Delhi;

(b) what are the names of such business organisations which are still under construction against such guidelines; and

(c) what action is taken/proposed to be taken by Government to stop the construction to avoid the increasing number of violations?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) to (c) Petrol pumps, hotels and dhabas located on National Highways are beyond the right of way of National Highway and have to conform to IRC guidelines. However, in respect of some petrol pumps on National Highway No. 8 in Delhi, it is reported that there have been few departures from the laid down IRC norms. Matter has been taken up with the Petroleum Ministry for necessary corrective action. As regards encroachments including hotels and dhabas, respective State Govts. have standing instruction to remove them from the right of way.

Use of Aircrafts/Helicopters

2361. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several Central Ministers have used aircrafts/helicopters owned by the Defence Forces, Central Police Organisations and various public sector undertakings for both official and non-official purposes;

(b) if so, the names of Ministers who used such aircrafts/helicopters in the last three years for official and non-official purposes separately;

(c) the amount involved in the case of each of the Minister for official and non-official purposes separately; and

(d) the amount pending, if any, against those Ministers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (PROF. M. KAMSON): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Finalization of the Compensation Cases of Road Accidents

2362. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the road accidents are rising in the country especially in Delhi and the compensation cases in the tribunals continue languishing for years;

(b) if so, what steps Government propose to take/have taken to bring down the rate of road accident and finalisation of the compensation cases;

(c) the number of road accidents that have taken place in big cities in the last three years, year-wise, and the number of compensation cases pending in various tribunals and courts; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE